न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प–धुरासनी
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 101/2021

प्रार्थीः–

1. दलपतराम पुत्र पुखाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम नयागांव तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–ः निर्णय ः– दिनांक – 02.11.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम चांदासनी, पटवार हल्का नयागांव, भू–निरीक्षक चौपड़ा, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 769 रकबा 0.8500 हैक्टर, की प्रार्थी के पिता पुकाराम पुत्र पेमाराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आयी हुई है। जिस पर प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की कब्जासुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता पुकाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी नयागांव के नाम दिनांक 19/01/1987 को अलोटमेंट की गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 201 तहसीलदार सोजत के द्वारा दिनांक 04/07/1987 स्वीकृत किया गया, जिस नामान्तकरण में प्रार्थी के पिता का नाम पुकाराम पुत्र पेमाराम के नाम से दर्ज सुदा है, जो सही है। उक्त नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2044 से 2047 में प्रार्थी के पिता पुकाराम पुत्र पेमाराम के नाम से दर्ज किया हुआ है, जो सही है। उसके बाद बनी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 के खसरा संख्या 769 रकबा 0.8500 हैक्टर में पुकाराम पुत्र पेमाराम गैर खातेदार के नाम से दर्ज कर दिया गया, जिसमें प्रार्थी के पिता की जाति कुम्हार के स्थान पर ब्राह्मण दर्ज कर दी गई, जो गलत दर्ज हो गई है। उक्त त्रुटि तत्कालीन पटवारी हल्का के सवहन से एवं भूलवश ब्राह्मण शब्द दर्ज कर दिया गया जबकि कुम्हार दर्ज करना चाहिए था। उक्त त्रुटि होने की वजह से उसके बाद बनी जमाबंदी में प्रार्थी के पिता की जाति ब्राह्मण के नाम से लगातार दर्ज चली आ रही है, जो गलत दर्ज होने से उक्त त्रुटि चली आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का विरूद्ध अप्रार्थी पेश है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

12/05/2021 को हो चुका है। प्रार्थी अपने पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल दिनांक 29/06/2021 को प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि उक्त कृषि भूमि पुकाराम पुत्र पेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी नयागांव के नाम से दर्ज है। जिस वजह से प्रार्थी के पिता के स्थान पर फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका। राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश कुम्हार के स्थान पर ब्राह्मण शब्द दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में पुकाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी नयागांव के नाम से रेकर्ड दुरूस्त कर इन्द्राज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त कृषि भूमि ग्राम चांदासनी तहसील सोजत में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा चांदासनी, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 769 रकबा 0.8500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का पिता की जाति ब्राह्मण के स्थान पर कुम्हार के नाम से शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। तहसीलदार सोजत जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, ई–हस्ताक्षरित वर्तमान जमाबन्दी, प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047, नामान्तकरण प्रतिलिपि की छायाप्रतियां पेश की है, सा0शा0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा चांदासनी, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 769 रकबा 0.8500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का पिता की जाति ब्राह्मण के स्थान पर कुम्हार के नाम से शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 में प्रार्थी के पिता पुकाराम पुत्र पेमाराम की जाति कुम्हार अंकित है। तथा नामान्तरकरण संख्या 209 में भी प्रार्थी के पिता का नाम पुकाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार दर्ज है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से प्रार्थी की जाति कुम्हार होने की पुष्टि होती है। लिहाजा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उक्त विवादित सरहद मौजा चांदासनी, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 769 रकबा 0.8500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का पिता की जाति ब्राह्मण के स्थान पर कुम्हार के नाम से शुद्धि किये जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चांदासनी, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 769 रकबा 0.8500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का पिता की जाति ब्राह्मण के स्थान पर कुम्हार के नाम से शुद्धि किये जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत